

प्रेषक,

श्री. एस.एस. गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन,
2/19 संत बिहार अंसारी रोड,
दौरवागंज, नई दिल्ली।

संलग्न: दिनांक 16 अक्टूबर, 1987

शिक्षा अनुभाग-17

विषय:- जिंगल बेल स्कूल, फैजाबाद को अनापीत प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिंगल बेल स्कूल, फैजाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नीलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपीत नहीं है :-

1. सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रीक्वाट स्थान पिछड़े एवं निर्वल आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा 50% माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैलिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

For Jingle Bell Nursery School Society

Jhunjhunwala
(Manjula Jhunjhunwala)

(Ms. Rashmee Bhatia)

Principal

J. B. Academy

Ayodhya (Faizabad) (U.P.)

CBSE Affi. No. 2130083

10] विशेष प्रतिक्रिया

- 1- विद्यालय की प्रवन्धा सीमित रीजिस्टर्ड होंगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उत्तका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
 - 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का एक कक्षा-कक्षा, दो वैकल्पिक विषय कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा तथा चार प्रशासकीय कक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
 - 3- कार्यवाहियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहियों को अनुमत्य सेवा-निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - 4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
- 2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापीत प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

॥ सत्योदय गौतम ॥
संयुक्त सचिव।

संख्या-4275/11/15-17-37-तदीदनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मनीयाबाद। (५१/५/२)
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रवन्धाक, जेजल खेत स्कूल, फैजाबाद।

आज्ञा से,

॥ सत्योदय गौतम ॥
संयुक्त सचिव।

(Ms. Rashmee Bhatia)
Principal
J. B. Academy
Ayodhya (Faizabad) (U.P.)
CBSE Affi. No. 2130083

For Jingle Bell Nursery School Society
(Manjula Jhunjhunwala)
Director